राजस्व वाद सं. 2018/00164 बआनवान स्व. थानसिंह के कागु किशनसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार बाली
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री भरत जे. राठोड उपस्थित। प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री भरत जे. राठौड ने बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम बिरोलिया के पुराने खसरा नंबर 149 में साढे दस बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता थानसिंह को उनके जीवनकाल में दिनांक 25.12.1978 को उपजिलाधीश बाली द्वारा आवंटन की गई। वादीगण के पिता व माता का देहांत हो चुका है। वादीगण आवंटित भूमि पर पुश्तैनी कब्जे अनुसार आजतक गत खसरा नंबर 149 से बने हाल खसरा नंबर 296 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम पर काबिज काश्त है। परंतु रिकॉर्ड में भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने से वर्तमान अधिकार अभिलेखों में भी भूमि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज होने से प्रतिवादी तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधि वादीगण के विरूद्ध धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही कर बेदखली व जुर्माने से दंडित करते है। जिससे वादीगण द्वारा घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हैं। विधिक प्रावधानों के अनुसार वादीगण खातेदार होने से वादीगण के पक्ष में वाद को डिकी किये जाने की दलील दी। प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा बहस में वादी अधिवक्ता की दलीलों का खंडन करते हुये जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादीगण के पिता थानसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत को केम्प दिनांक 25.12.1978 को बिरोलिया के गत खसरा नंबर 149 में से रकबा साढे दस बीघा भूमि आंवटन हुई थी जिस पुराने खसरा नंबर 149 के नये खसरा नंबर मिलान क्षेत्रफल अनुसार 282 से 291 बने है। जबकि वादीगण ने बिरोलिया के हाल खसरा नंबर 296 रकबा 14.02 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर भूमि की खातेदारी घोषणा चाही है। इस प्रकार मिलान क्षेत्रफल से गत एवं हाल खसरा नंबर का मिलान नहीं होने से वादीगण हाल खसरा नंबर 296 में से किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड आवंटन पत्र, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी खसरा नंबर 296 की, जमाबंदी खसरा नंबर 291, 292, 293 की, नक्शा, वादीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, धारा 91 के नोटिस की प्रति, जुर्माना रसीदों की प्रतियां का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू–1 किशनसिंह पुत्र थानसिंह राजपूत निवासी बिरोलिया एंव गवाह डीडब्ल्यू–1 श्री रमेश राव पुत्र मोहनलाल नायब तहसीलदार बाली द्वारा दिये गये बयानों का भी अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह ज्ञात है कि वादीगण द्वारा अपने स्व. पिता थानसिंह को बिरोलिया के गत खसरा नंबर 149 में आवंटित साढे दस बीघा भूमि के तुल्य भूमि की खातेदारी घोषणा बिरोलिया के नये खसरा नंबर 296 रकबा 14.02 हैक्टर में से चाही है। जबकि प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल, जवाबदावा एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों के बयानों से यह प्रमाणित है कि बिरोलिया के हाल खसरा नंबर 296 पुराने खसरा नंबर 161 से 170 से बने हैं जबकि वादी के पिता को गत खसरा नंबर 149 में भूमि आवंटन हुई थी जिसके नये खसरा नंबर 282 से 291 बने है। इस प्रकार गत खसरा नंबर से हाल खसरा नंबर 296 बनने की पुष्टि नहीं होने तथा आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का बेरोकटोक लगातार कब्जा काश्त भी साबित नहीं होने से वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते है। अतः वादीगण द्वारा ग्राम बिरोलिया स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 296 रकबा 1.60 हैक्टर के संबंध मे प्रस्तुत वाद	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व इस हुक्म
कार्यालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)	अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली	

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगणः–

1. स्व. थानसिंह पुत्र मूलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बिरोलिया के कायम मुकामः–

1/1. किशनसिंह पुत्र थानसिंह

1/2. नरपतसिंह पुत्र थानसिंह

1/3. परबतसिंह पुत्र थानसिंह

1/4. छैलसिंह पुत्र थानसिंह

1/5. लाड कंवर पुत्री थानसिंह

1/6. शोभा कंवर पुत्री थानसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण बिरोलिया तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2018/00164
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वादीगण द्वारा ग्राम बिरोलिया स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 296 रकबा 1.60 हैक्टर के संबंध मे प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ०७-१०-२५ को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner